

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021
दि.

2021
1120

विषय:-ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी के खाता सं० 225 में नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्ती करने
बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 225 में मेरा नाम/पिता का नाम/जाति गलत रूप से खाना पुत्र किशाना दर्ज है। मेरा सही नाम/पिता का नाम/जाति खानाराम पुत्र किशनलाल है।
अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करवें।

प्रार्थी खानाराम

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 225 पर प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति खाना पुत्र किशाना दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति खानाराम पुत्र किशनलाल करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी(प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के अन्तर्गत प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति खानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति खानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज किये जाने की अभिशंका की जाती है।

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी
प-६-सीतापुरा

[Signature]
हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प सोतापुरा

क्रमांक 12

दिनांक 14/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का सीतापुरा भू०अ०नि० वृत्त भावा एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 225 में प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जाति सही रूप से खानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज किये जाने की अभिशंका के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

463
2021
क्रमांक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

[Signature]
तहसीलदार (भू०अ०)
दूनी
दूनी जिला-टोक

दिनांक:- 14/11/21

तहसीलदार दूनी की अभिशंका अनुसार ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी सं० 2077 के खाते के खाता सं० 225 पर दर्ज खाना पुत्र किशाना के स्थान पर खानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज राखना किसे किये हेतु अनुमति दिया जाना है

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोक)